मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 1252 /571/2018/ब-7/डी.एम.सी./चार भोपाल, दिनांक 1 /08/2018

प्रति,

समस्त अपर सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय,
भोपाल.

विषय :- राज्य शासन द्वारा ऋण संवहनीयता प्रमाण - पत्र जारी करने के संबंध में।

संदर्भ :- भारत सरकार वित्त मंत्रालय का कार्यालय ज्ञाप क्र.3/9/2015-BPC&T दिनांक 17 मई 2018.

000

संदर्भित पत्र द्वारा केन्द्र शासन ने बाह्य- सहायतित परियोजनाओं के लिये ऋण संवहनीयता प्रमाण - पत्र (Debt Sustainability Certificate) प्रस्तुत किये जाने की अनिवार्यता समाप्त की है। इस परिपेक्ष्य में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि क्या बाह्य- वित्त पोषण से पूर्व राज्य शासन द्वारा ऋण संवहनीयता का आकलन किया जाना चाहिए।

इस संबंध में विचारोपरांत यह स्पष्ट किया जाता है कि बाह्य- सहायतित परियोजनाओं के लिये प्रकरण केन्द्र शासन को राज्य शासन के क्रियान्वयन विभागों द्वारा वित्त विभाग (डीएमसी शाखा) द्वारा उक्त प्रमाण - पत्र जारी करने के उपरांत ही प्रस्तुत किया जाए।

कृपया इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

11/8/2018

(डॉ. मनोज गोविल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग